रिक्ति परिपत्र

सं. ए/51366/डी.ई.ओ.-डी/डी-8/मुप्रअ/भर्ती–3

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(संयुक्त सचिव एंव मुप्रअ का कार्यालय)

कमरा संख्या 174, ई– ब्लॉक
दारा शुकोह रोड
नई दिल्ली– 110011

दिनांक 06 सितम्बर 2017

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
सभी राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव
सभी केन्द्रषासित प्रदेषों के प्रमुख सचिव

विषयः– एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (वायु सेना) में आंकडा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी ‘घ’ के आठ पदों को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरे जाने हेतु।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (वायु सेना) में आंकडा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी ‘घ’ के आठ पदों को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरे जाने की आवश्यकता है। इस पद का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

पद एवं वर्गीकरण : आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी ‘घ’
साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतनमान (पूर्व संषोधित) : वेतन बैंड–2 (₹ 9300–34800) + ग्रेड वेतन ₹ 4200/–

अर्हता शर्तें :–

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या संविधिक या स्वयत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :–

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं,

या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड–1, वेतनमान (पूर्व संषोधित) ₹ 5200–20200 +ग्रेड वेतन ₹ 2800/– श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां छः वर्ष की नियमित सेवा है। **और**

contd......p/2

(ख) जो निम्न रुप में शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैः–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित एक विषय के साथ बैचलर डिग्री

(ii) संगठन में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक के रुप में दो वर्ष का अनुभव।

2. कार्य रुपरेखा –डेटा तैयारी/सत्यापन की योजना बनाना। ग्रेड के संगठन ट्रेनिंग/पर्यवेक्षण की जरुरतों को आंकडा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी घ के अनुसार नौकरियों के निर्धारण और अल्फा के अधिक कौशल आधारित सत्यापन सांख्यिक या ग्राफिक डेटा।

3. **पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगें।** इसी प्रकार प्रतिनिुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का ज्ञा सं 6/8/2009–Estt (Pay II) दिंनाक 17–6–2010 एवं इसके अनुवर्ती संषोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी ।

5. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले (तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहॉ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहिंत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां वह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापना ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफरिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी का ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

contd......p/3

6. अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति मे कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन पत्र **(दो प्रतियों में)** पिछले 05 वर्षो के पूर्ण एवं अधतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/ए पी ए आर अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित) के साथ प्रशासनिक अधिकारी/भर्ती –3, संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ), रक्षा मंत्रालय, ई ब्लॉक, कमरा संख्या 174 दारा शुकोह रोड, नई दिल्ली 110011 को इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुॅच जाने चाहिए। **देरी से पहुॅचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैडर क्लीयरेंसं), सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्धारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारी द्धारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सर्तकता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं हैं। **संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्धारा एक अलग से प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा संतोषजनक हैं एवं पिछले 10 वर्षो में उस पर कोई बडा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया हैं।**

7. जीवन–वृत्त का प्रारुप पत्र हमारी वेवसाइट **www.caomod.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है ।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस रिक्ति परिपत्र को अपने प्रषासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों, विष्वविधालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, अर्घ सरकारी या कानूनी या स्वायत्तषासी संगठनों में प्रचालित करें।

टिप्पणी :–पद के लिए एक बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

भवदीय,

(जेड एस कोईरेंग)
उप निदेशक, मुप्रअ/भर्ती 1 एवं 3
कृते संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ

प्रति :–

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना)/सभी ब्रांचो के समन्वय अनुभाग
एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (वा से मु)/पी सी समन्वय
एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/प्रशासन निदेशालय
अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग
सं.स.(स्था./मुप्रअ) कार्यालय के सभी अनुभाग

मुप्रअ/का–2 – आपके नोट संख्या ए/25347/मु प्रअ/पी–2 दिनांक 29 अगस्त 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।